न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 27/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/24)

1. कौशल्या देवी पत्नी स्व. जगन्नाथ जाति सोनी (खत्री) निवासी श्रीविजयनगर जरिये मु. आम मलकीतसिह, परविन्द्र सिह, दलजीत सिह पिसरान सुखासिह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड नं. 11 श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ) (फौत)

1/1 सतीश कुमार पुत्र कौशल्या देवी पत्नी स्व. जगन्नाथ जाति सोनी (खत्री) निवासी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ)

1/2 सुभाष चन्द्र पुत्र कौशल्या देवी पत्नी स्व. जगन्नाथ जाति सोनी (खत्री) निवासी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
2. बेअन्तसिंह पुत्र जग्गासिह जाति कम्बोज सिख निवासी 31 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ)

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री पहलाद जाखड़ – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री गिरधारी लाल रामावत – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 16.07.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलैक्टर श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 31.10.2011 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट कौशल्या देवी ने उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर रिकार्ड/जमाबन्दी दुरूस्ती किये जाने के आदेश देने का निवेदन किया। जिस पर उप जिला कलैक्टर श्रीविजयनगर ने अपने आदेश दिनांक 31.10.2011 द्वारा धारा 136 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमाने का अनुतोष चाहा गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो/लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलान्ट की खातेदारी जमीन चक 28 जी.बी के मु.नं. 47 व मु.नं. 55 में रकबा कुल 4.96 हेक्टेयर 1/2, 1/2 मेलाराम वल्द हंसराज, जग्गनाथ, केदारनाथ पिसरान काशीराम की थी। जिसमें अपीलान्ट के पति जग्गनाथ के हिस्से मे 4 बीघा 18 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि आती है। जिस पर अपीलान्ट काबिज है तथा अन्य भूमि 4.744 हेक्टेयर में अपीलान्ट का 1/2 व 1/3 हिस्सा मे 6 बीघा 4 बिस्वा कुल 11 बीघा 2 बिस्वा आती है। अपीलान्ट ने जरिये बैयनामा दिनांक 06.01.84 को मु. नं. 5 बीघा 01 बिस्वा अप्रार्थी सं. 2 को विक्रय की है। शेष भूमि 3 बीघा 1 बिस्वा का नामान्तरकरण सहबन से अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज हो गया जो गलत है। मुरबा नं. 37 (पुराना नं. 47) पत्थर नं. 172/427 के किला नं. 1 ता 6, 8 ता 13, 15 ता 23, 25 की कुल 4.960 हेक्टेयर यानि 19 बिघा 12 बिस्वा कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में सहबन से रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम 1/4 हिस्सा यानी करीब 4 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि गलत दर्ज कर दी गई है जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 2 की जरिये बैयनामा किला नं. 3, 8, 13 की केवल मात्र 3 बीघा कृषि भूमि खरीदशुदा है। सहबन से हुई इस त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है क्योकि 1 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे ज्यादा दर्ज है। इसलिए रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने बिना क्रय किये ही अपीलान्ट की भूमि को ही गैर कानूनी तरीके से अपने नाम दर्ज करवा ली जो गलत है। यह तथ्य प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष रखे गये थे फिर भी उन्होने उसे न मानकर कानूनी गलती की है ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत दोनो आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि चक 28 जी बी ए का मु.नं. 37 की प. 960 हेक्टेयर कृषि भूमि मे जगन्नाथ पुत्र काशीराम का 1/4 हिस्सा भूमि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 07.11.1984 से यह रकबा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कौशल्यादेवी के स्थान पर बेअन्तसिह पुत्र जुग्गासिह के नाम अंकन के चक 28 जी बी बी का मु.नं. 18 की 4.744 हेक्टयर भूमि मे से जगनाथ पुत्र धासीराम के 1/3 हिस्से की भूमि की बेअन्तसिह के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश दिये गये कि पालना में राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि बेअन्त सिह के नाम अंकित की गयी है। इस प्रकार उक्त भूमि बेअन्तसिह के नाम सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 7.11.1984 से कोई ऐतराज है तो निर्णय दिनांक 7.11.1984 के खिलाफ सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर विधिअनुसार अनुतोष प्राप्त कर सकते है मामला धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का नही बनता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 अपने निर्णय दिनांक 31.10.2011 से खारिज किया गया है जो न्यायोचित है अपीलान्ट की अपील निरस्त की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 06.01.1984 को निष्पादित बैयनामा व तद्नुसार हुए राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात की शुद्वि चाही है। पत्रावली पर इस प्रकार का कोई बैयनामा नही पाया गया। नायब तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट अनुसार सहायक भू. प्रबंध अधिकारी के निर्णय दिनांक 07.11.1984 अनुसार कौशल्या देवी बेवा जग्गनाथ का नाम खारिज किया जाकर बैअन्तसिह पुत्र जग्गासिह के नाम से अंकन के आदेश हुए, उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे प्रविष्टि दायर की गई। उक्त कार्यवाही राजस्व रिकार्ड मे लिपिकिय त्रुटि की श्रेणी मे नही आती है। लिहाजा प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के दायरे मे नही आता है। अपीलान्ट चाहे तो भू–प्रबन्ध अधिकारी के उक्तानुसार पारित निर्णय के विरूद्व संक्षम न्यायालय मे चाराजोही के लिए स्वतंत्र है।

उक्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2011 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर श्रीविजयनगर द्वारा पारित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय दिनांक 31.10.2011 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर